KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

अनु. 5 ,6 ,7 ,8 का प्रयोग अब नहीं किया जाता , इसलिए नागरिकता प्रदान करने और समाप्त करने के लिए संसद ने यह अधिनियम बनाया।

Arti . 5,6,7,8 are no longer used, hence Parliament made this Act to grant and abolish citizenship.

नागरिकता अधिनियम ,1955 (Citizenship Act, 1955)

A . भारत की नागरिकता प्राप्त करना –Obtaining Indian citizenship -

भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते है। Indian citizenship can be obtained in 5 ways.

1 . जन्म के आधार पर based on birth

2 . वंश के आधार पर based on lineage/Citizenship by Descent

3 . पंजीकरण के आधार पर based on registration

4 . देशीकरण/राष्ट्रिय कारण के आधार पर On the basis of naturalization/national reasons

5 . अर्जन क्षेत्र के आधार पर On the basis of earning area

B . भारत की नागरिकता तीन प्रकार से समाप्त कर सकते है। Indian citizenship can be terminated in three ways.

B . भारत की नागरिकता तीन प्रकार से समाप्त कर सकते है। Indian citizenship can be terminated in three ways.

1 . पर्यवसन से from Paryavasan
2 . परित्याग से with abandon
3 . वंचना के द्वारा by deprivation

जन्म के आधार पर :- By Birth.

1. 26 जन0 1950 के बाद तथा 1जुलाई 1987 से पहले भारत मे जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, या चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।A person born in India after 26 January 1950 and before 1 July 1987 will be a citizen of India, regardless of the nationality of his parents.
2. 1 जुलाई 1987 के बाद तथा 3 Dec 2004 से पहले भारत मे जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता / पिता मे से कोई एक भारत का नागरिक होगा। A person born in India after 1 July 1987 and before 3 Dec 2004 will be a citizen of India, if one of his/her parents is a citizen of India.
3. 3Dec 2004 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता-पिता मे से कोई एक भारत का नागरिक हो, अप्रवासी भारतीय नही हो।A person born in India after 3Dec 2004 will be a citizen of India, if one of his parents is a citizen of India and not an NRI.

वंश के आधार पर नागरिकता –Citizenship on the basis of descent -

1 . 26 जन 1950 के बाद तथा 10 दिस 1992 से पहले भारत क्षेत्र से बहार जन्मा ब्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक है। A person born outside the territory of India after 26 January 1950 and before 10 December 1992 will be a citizen of India if his parents are citizens of India.

2 10 दिस 1992 के बाद तथा 3 दिस. 2004 से पहले भारत क्षेत्र से बहार जन्मा ब्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता/ पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है। After 10 December 1992 and 3 December. A person born outside the territory of India before 2004 will be a citizen of India if either of his parents is a citizen of India.

3 Dec 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता-पिता मे से कोई एक भारत का नागरिक हो, और उसके जन्म का पंजीकरण उस देश में स्थित भारतीय दुतावास मे करवाया गया हो। तथा माता / पिता मे से किसी एक के पास भारत का Passport हो। A person born outside India after 3 December 2004 will be a citizen of India, if one of his parents is a citizen of India, and his birth is registered in the Indian Embassy located in that country. And either of the parents should have an Indian passport.

(3) पंजिकरण के आधार पर नागरिकता - Citizenship By Registration

1.भारत वंशी व्यक्ति यदि 7 वर्ष तक सामान्य तौर पर भारत में निवास करे तो पंजिकरण के आधार पर भारत का नागरिक होगा। If a person of Indian origin ordinarily resides in India for 7 years, he will be a citizen of India on the basis of registration.

2 भारत वंशी व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक से सम्बंध रखकर 7 वर्ष तक सामान्य तौर पर भारत में निवास करे तो पंजिकरण के आधार पर भारत का नागरिक होगा।If a person of Indian origin ordinarily resides in India for 7 years in relation to an Indian citizen, then he will be a citizen of India on the basis of registration.

3 भारत वंशीयों के नाबालिग सन्तान यदि 1 वर्ष तक भारत मे निवास करे भारत का नागरिक होगा।Minor children of Indian origin will become citizens of India if they reside in India for 1 year.

Note: 1986 के संशोधन से पहले 6 माह तक भारत मे निवास करना होगा ।

देशियकरण के आधार पर नागरिकता- By Naturalization

1. विदेशी मूल का नागरिक यदि 12 वर्ष तक सामान्य तौर पर निवास करे वह भारत का नागरिक होगा . If a citizen of foreign origin has ordinarily resided for 12 years, he will be a citizen of India.
2. ऐसा विदेशी व्यक्ति जिसका 12 वर्ष से भारत से सम्बंध हो, और 7वर्ष के भीतर 4 वर्ष तक भारत मे निवास किया हो वह भारत का नागरिक होगा। A foreign person who has a relationship with India for 12 years and has resided in India for 4 years within 7 years will be a citizen of India.
3. भारत सरकार किसी भी प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्ति को भारत की नागारिकता प्रदान कर सकता है। The Government of India can grant Indian citizenship to any eminent foreign person.

जैसे -दलाईलामा

- 2005 के संशोधन के आधार पर देशियकरण की नागरिकता को आसान कर दिला

अर्जन क्षेत्र के आधार पर : Citizenship by Acquisition land.

अर्जित भुमी पर निवास करने वाला व्याक्ति, भारत का नागरिक होगा।

⇒ NRI- (एनआरआई) Non Resident Indian

अनिवासी भारतीय को एनआरआई कहा जाता है। एक भारतीय नागरिक जो एक वित्तीय वर्ष में किसी अन्य देश में काम करने या व्यापार करने में 138 दिन से अधिक समय व्यतीत करता है उसे एनआरआई कहा जाता है।

Non-resident Indians are called NRIs. An Indian citizen who spends more than 138 days in a financial year working or doing business in another country is called an NRI.

NPR- National Population Register → राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका :

एनपीआर की फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है। एनपीआर देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं। The full form of NPR is National Population Register. NPR is a list of ordinary residents of the country. It is mandatory for every ordinary resident of India to register in NPR. This includes both Indian citizens and foreign citizens.

NRC- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens)

नागरिकता नियम, 2003 के अनुसार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने और इसमें एकत्रित आंकड़ों के आधार पर एनआरसी बनाने का आदेश जारी कर सकती है। 2003 के संशोधन में आगे कहा गया है कि स्थानीय अधिकारी यह तय करेंगे कि व्यक्ति का नाम एनआरसी में जोड़ा जाएगा या नहीं, जिससे उनकी नागरिकता की स्थिति तय होगी।(According to the Citizenship Rules, 2003, the Central Government can issue an order to prepare the National Population Register (NPR) and create NRC based on the data collected in it. The 2003 amendment further states that local authorities will decide whether the person's name will be added to the NRC, which will determine their citizenship status.)

भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी। वर्तमान में एनआरसी असम के अलावा अन्य किसी भी राज्य में लागू नहीं है।

CAA

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act, - 2019)

भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि 31 दिसम्बर सन 2014 के पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी।

6 साल

मुस्लिम

इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 6 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। In this bill, the condition of residence in India for 7 years required for granting Indian citizenship has also been relaxed and this period has been changed to a condition of residence in India for only 6 years.

PIO Card:

भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड (पीआईओ कार्ड) योजना 2002-

→ बिना VISA के 15 वर्षों तक

सरकार ने पीआईओ कार्ड योजना को संशोधित किया है, जिसे 1999 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आपकी जड़ों तक यात्रा को सरल, आसान, लचीला और बिल्कुल परेशानी मुक्त बनाना था।

भारतीय मूल के नागरिक के रूप में पहचानता है जो भारत से बाहर रहता है। यह भारत सरकार को उक्त व्यक्तियों को कई प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। Identifies as a citizen of Indian origin who resides outside India. This enables the Government of India to provide a number of privileges to the said individuals which are available only to citizens of India.

ओसीआई -ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया- → PIO का अपडेटेड

OCI → आजीवन

भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, ऐसे ही लोगों की सुविधा का ख्याल करते हुए 2003 में भारत सरकार पीआईओ कार्ड का प्रावधान किया.

इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में हैदराबाद में ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की.

काफ़ी समय तक पीआईओ और ओसीआई कार्ड दोनों ही चलन में रहे लेकिन 2015 में पीआईओ का प्रावधान ख़त्म करके सरकार ने ओसीआई कार्ड का चलन जारी रखने की घोषणा की.

व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो, या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों.

पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान कुछ ऐसे देश हैं जहां के भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सकती.

ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन-देन करने की सुविधा देता है, साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीज़ा के भारत आ सकता है.
ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है.
भारतीय गृह मंत्रालय की ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं
लेकिन चार चीज़ें वे नहीं कर सकते-1. चुनाव नहीं लड़ सकते. 2. वोट नहीं डाल सकते. 3. सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते. 4. खेती वाली ज़मीन नहीं ख़रीद सकते.

मोतीलाल नेहरू
1928

सबसे पहले → कराची अधिवेशन - अध्यक्षता
1931-32
⇓
PL-JL-नेहरू

भाग-3

मूल-अधिकार Fundamental Rights

मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष
⇓
वल्लभ भाई पटेल

भाग 3 Part 3

अनुच्छेद 12 -35 Article 12 -35

मूल अधिकार के लिए उप-समिति
⇓
J.B. कृपलानी

मूल-अधिकार Fundamental Rights

- इसे अमेरिका (USA) से लिया गया है। It has been taken from America.
- यह राज्य के विरुद्ध जनता का अधिकार है। This is the right of the people against the state.
- 'जनता के अधिकार को सेवा के अधिकार के रूप में सर्व प्रथम 1215 में ब्रिटेन ने दिया , जिसे मैग्नाकार्टा कहा गया ; The public's right to service was first given by Britain in 1215, which was called Magna Carta.
- भारत में मूल अधिकार , जनता का अधिकार है इसलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा कहते है। In India, fundamental rights are the rights of the people, hence it is called the Magna Carta of the Indian Constitution.

•इस पर विधि बनाने अधिकार संसद के पास है।

•विधि को लागू करने का अधिकार अनु. 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास तथा 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास है। Right to enforce law. Under section 32, it is with the Supreme Court and under section 226, it is with the High Court.

•इसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रिय आपात काल के दौरान विधि बनाकर निलंबित कर सकेगा। It can be suspended by the President by making a law during national emergency.

• अनु. 19 राष्ट्रिय आपात काल की घोषणा होते ही तत्काल निलंबित हो जायेगा।-अनु. 358

• अन्य मूल अधिकार को विधि बनाकर निलंबित कर सकेगा।- अनु. 359 Can suspend other fundamental rights by making law.- Art. 359

• लेकिन अनु. 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होगा। arti. 20 and 21 will never be suspended.

→ मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर Court जा सकेंगे
↳ 32 - SC
226 HC

- यह सीमित और वाद योग्य है। It is limited and debatable.
- यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। This is both negative and positive
- आरम्भ में मूलाधिकार 7 प्रकार के थे अब 6 प्रकार के है। Initially there were 7 types of fundamental rights, now there are 6 types.

→ संविधान जो लागू हुआ था - 26 जन 1950.

- 1. समानता या समता का अधिकार(Right to equality) - अनु. 14 - 18
- 2 स्वतंत्रता का अधिकार(Right to freedom) - अनु. 19 - 22
- 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार(Right against exploitation) -अनु. 23 -24
- 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार(Right to religious freedom) - अनु. 25 - 28
- 5. शिक्षा संस्कृति संरक्षण का अधिकार(Right to protection of education and culture)अनु. 29 -30
- 6 . संपत्ति का अधिकार(Right to property) अनु. 31 → समाप्त : 44वां
- 7. संवैधानिक उपचारो का अधिकार(Right to constitutional remedies.) अनु. 32

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING